COURT FEE INDIA TEN RUPEES Rs.10
COURT FEE INDIA FIVE RUPEES Rs.5

BEFORE: HON'BLE BOARD OF REVENUE, MADHYAPRADESH
MOTI MAHAL, GWALIOR (M.P.)

APPEAL NO. /2015 अपील 8034-II-15

APPELLANT M/s Jagpin Breweries limited (Earlier k/as M/s Cox India Limited) Through its Authorised Signatory Rajeev Mittal S/o Shri Satish Mittal, Aged - 42 yrs, Occupation-Service ,R/o Distillery Campus, Nowgong, Distt. Chhatapur Division –Sagar (M.P.)

श्री ... द्वारा आज दि. 5-8-15 को प्रस्तुत

Versus

RESPONDENT The Excise commissioner ,Madhya Pradesh, Moti Mahal ,Gwalior, (M.P.)

An appeal under Rule 2(C) of the Appeal and Revision Rules against the order dated 18-05-2015 passed by the learned Excise Commissioner whereby a penalty of Rs 89,500/- has been imposed on the appellant. A copy of the impugned order dated 18-05-2015 Annexure A-1.

The humble Appellant most respectfully submits as under:

FACTS OF THE CASE

1. That, the appellant is the distillery established under M.P. Distillery Rules,1995, carrying out the activities pertaining to the manufacturing ,storing and bottling and supply of the sprit . The appellant company regularly participate in the tender process conducted by the department and on obtaining the contract for the period specified therein, the sprit is supplied to the warehouse as per the direction of the respondent department.
2. That, the Respondent vide order dated 26-05-2011 renewed the C.S. 1-B license whereby permitted the appellant to supply the country sprit, from the bottling unit situated in Naugaon District Chattarpur.
3. That, the appellant ,in the given circumstances has regularly maintained the minimum stock and ensured the uninterrupted supply

शपथ आयुक्त ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील/8034–तीन/15 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14–8–2015	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एन0 एस0 किरार उपस्थित । उन्हें प्रकरण की ग्राह्यता एवं स्थगन आवेदन तथा धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के आवेदन पर सुना गया । आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में वहीं तथ्य दुहराये जो उनके द्वारा अपील मेमो में उल्लेखित किए गये तथा उनके समर्थन में आवेदक अभिभाषक द्वारा न्यायिक सिद्धांत प्रस्तुत किये । मध्य प्रदेश कन्ट्री स्प्रिट रूल्स 1995 के नियम 4.4 में यह वर्णित है कि मेनीफेक्चरिंग बेयरहाऊस पर 5 तथा 7 दिवस की स्प्रिट का स्टोर रखना आवश्यक है तथा स्टोरेज वेयर हाउस पर 5 दिवस का एवरेज इश्यू का स्टाक रखना होगा । नियम 12 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई लायसेंसी लायसेंस में वर्णित शर्तो का उल्लंघन करता है तो उस पर 50,000/– रूपये तक की शास्ति अधिरोपित की जा सकती है इसके अतिरिक्त बार–बार लायसेंस की शर्तो का उल्लंघन करने पर 1000/– (एक हजार रूपये) प्रतिदिन के मान से शास्ति अधिरोपित की जा सकती है । विद्वान अधिवक्ता द्वारा शर्मा एण्ड शर्मा कम्पनी जबलपुर विरूद्ध स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश (1981 एमपीएलजे 422) आदेश दिनांक– 19 जुलाई 1980 की छाया पति प्रस्तुत की गयी जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि शास्ति अधिरोपण का कार्य सामान्य कार्य नहीं है इसे अधिरोपित करने के लिए औचित्य पूर्ण ...मुचित आधार होना चाहिए । प्रत्येक केस में शास्ति ...त किया जाना आवश्यक नहीं है । हिन्दुस्तान स्टील	

लिमिटेड विरूद्ध स्टेट ऑफ उड़ीसा (एआईआर 1970 एससी 253) की छाया प्रतियां भी प्रस्तुत की गयी जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि विधि संगत दायित्वों के पालन करने में असफल रहने के कारण शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश अर्द्धन्यायिक कार्यवाही का परिणाम होता है, जब तक यह स्पष्ट न हो कि संबंधित लायसेंस धारी द्वारा जानबूझ कर अपने दायित्वों का उल्लंघन किया गया है सामान्य रूप से शास्ति अधिरोपित नहीं की जावेगी । शास्ति मात्र इस कारण भी अधिरोपित नहीं की जावेगी कि ऐसा किया जाना नियमों में है । लायसेंसी द्वारा कानूनी दायित्वों का निर्वाह नहीं करने पर उसके विरूद्ध शास्ति अधिरोपित की जावे या नहीं यह तथ्य शास्ति अधिरोपित करने वाले सक्षम अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है" । विद्वान अधिवक्ता द्वारा डब्लू.पी. नम्बर 2094/2013 यूनाइटेड स्प्रिट लिमिटेड विरूद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य में आदेश दिनांक–12.3.2013 की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि स्थगन आदेश कुल शास्ति अधिरोपित राशि का 25 प्रतिशत राशि जमा करने की शर्त पर दिया जा सकता है ।

उक्त न्यायिक सिद्धांतों को आवेदक ने आबकारी आयुक्त द्वारा दिए गये कारण बताओ नोटिस के जबाब के साथ आबकारी आयुक्त के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया था जहां इन न्याय दृष्टांतों पर बारीकी से विचार किया जाकर आबकारी आयुक्त ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धांतों उल्लेख करते हुए विस्तृत एवं बोलता हुआ आदेश पारित किया गया है ।

मेरे द्वारा प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि सक्षम अधिकारी आबकारी आयुक्त द्वारा प्रकरण में विद्यमान परिस्थितियों पर न्यायिक रूप से विचारोपरांत

विवेक का उपयोग करते हुये आदेश पारित किया गया है । इस प्रकार आवकारी आयुक्त ग्वालियर द्वारा जारी आदेश विधिसंगत होकर उचित है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

ऐसी स्थिति में प्रकरण में स्थगन दिए जाने का कोई पर्याप्त आधार न होने से स्थगन आवेदन अमान्य किया जाता है तथा अपील में ग्राह्यता के पर्याप्त आधार न होने से यह अपील अग्राह्य की जाकर यह अपील प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है

17/8

आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य